

जज अदालत

न्यायालय उपखण्ड मुकाम अधिकारी रामसेन

सरकार बनाम ममता

किस्म मुकदमा प्रा.अ. 136 नं. 103/19 सन 1994

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये

12/2/20


आज पत्रावली पेश हुयी। परीकार

सरकार एवं वकील अप्रार्थी हाजिर। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र द्वाकार कर श्राद्ध करने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। इसलिये प्रार्थना पत्र 136 PRACT स्वीकार करने पर हमकोई आपत्ति नहीं समझते हैं। प्रार्थना पत्र के तथ्यों से हम सहमत हैं। क्योंकि पूर्व की जमाबंदीयों का अवलोकन करने पर पाया कि राजस ग्राम माझपुरा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खता सं. 182 के ख.नं. 1174 ख.नं. 03 बीबा 05 विखा में दर्ज प्रेमवती बेबा सरवन लाल हिस्सा 15/112 फर दिया है। जबकि पूर्व की जमाबंदीयों के अवलोकन से पता कि उसका वास्तविक हिस्सा 15/224 है। उसने अपना हिस्सा बेचान से ममता फनी बजबारीलाल व दुर्गाप्रसाद पुत्र रामसहाय को बेच दिया है। जिसने उसने अपना हिस्सा 15/112 बेचना अंकित किया है। उसका हिस्सा बूटि 15/224 था इसलिए वह अपने हिस्से से अधिक हिस्सा बेचने की अधिकारी नहीं है। यह एक लिखित वृत्ति है जो काबिल दुरुस्ती है। इस श्राद्ध हेतु वकील अप्रार्थी भी सहमत हैं। इसलिए हम उक्त वृत्ति को राजस रिकार्ड में शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं।

2/3

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र

136 UR Act स्वीकार किया जाकर बंके
 ग्राम माधोपुरा के खता सं. 182 के खसत
 सं. 1174 खता 3-05 बीघा पर राजेन्द्र
 पुत्र रामनलाल हि. 1/32 कर्म ब्राह्मण सा.
 भू. का बाग, दयालबाग, आगरा, भूरीदेवी
 पत्नी रामनाथ कर्म ब्राह्मण हि. 15/112 सा.
 नगला ब्राह्मण मजरा डवली तहसील
 किरानली आगरा, दुर्गाप्रसाद हि. 60/448
 बनबारीलाल हि. 75/448 पि. रामसहाय
 कर्म ब्राह्मण ममता पत्नी बनबारीलाल
 हि. 135/448, मनोजकुमार, मोहनप्रकाश
 रामबिहारी पि. दुर्गाप्रसाद हि. 13/56 कर्म
 ब्राह्मण सा. सिटीली खातेवर दुर्गाप्रसाद
 हि. 45/448 व मनोजकुमार, मोहनप्रकाश
 रामबिहारी हि. 13/56 ममता हि. 135/448
 राहिन SBBS शाखा राजखेड़ा मु. घि. 8
 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये
 जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार
 राजखेड़ा को निर्णय की प्रति भेजकर
 पाल्ना हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली
 फंशल शुमार लेकर बाद तकमील हाखिल
 दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
 सुनाया गया।


 उपखण्डाधिकारी
 राजखेड़ा (धौलपुर)

25/4/51